राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक प.15(6)(13)विधि/आईसीडीएस/13/552-558 जयपुर दिनांकः 6-4-18

समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,
मुख्यालय ....।

समस्त प्रभारी अधिकारी एवं उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान।

समस्त प्रभारी अधिकारी एवं
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर/पीठ जयपुर में लम्बित प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत कराने जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत श्री धर्मवीर ठोलिया, अति. महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पत्र दिनांक 26.02.2018 से अवगत कराया है कि प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट, वकालतनामा, दस्तावेजात, रिट की प्रतियां आदि उपलब्ध नहीं कराये जा रहे है तथा न ही व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा रहा है, जिसके कारण प्रकरणों में जवाब आदि पेश किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अतः लेख है कि प्रभारी अधिकारी के दायित्वों अनुसार तत्काल आपसे संबंधित प्रकरणों की तथ्यात्मक रिपोर्ट, वकालतनामा, दस्तावेजात, रिट की प्रतियां आदि संबंधित राजकीय अधिवक्ता/अति. महाधिवक्ता को उपलब्ध करवाकर नियमानुसार विभागीय जवाब न्यायालय में पेश कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देशों को गम्भीरता से लेवें, अन्यथा विपरित स्थिति में समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.15(6)(13)विधि/आईसीडीएस/13/559-561 जयपुर दिनांकः 6-4-18
प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, जयपुर।
2. श्री धर्मवीर ठोलिया, अति. महाधिवक्ता को उनके पत्र दिनांक 26.02.2018 के क्रम में।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

समेकित बाल विकास सेवाएं, 2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर
WebSite-www.wcd.rajasthan.gov.in(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2713607